न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 825/2018

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगत सिह जाति खत्री सिख आयु 55 साल निवासी 43 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. चरणजीत सिंह पुत्र सन्तोख सिंह जाति खत्री सिख निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री जितपाल सैनी अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 21.01.2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एच.एच. के खाता है 107/89 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व 12 में प्रत्येक सालम 13/1 में 0.127 हैक्टर किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.075 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 10 सालम व किला नम्बर 13/2, 14 व 15 सालम कुल 6.3250 हैक्टर भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के नाम से राजस्व रिकर्ड में दर्ज है प्रार्थी के नाम से 3.163 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

चक 5 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 21/64 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 के 0.153 हैक्टर, 2 ता 10 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 13/2 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 14 व 15 सालम कुल 2.83 हैक्टर, जिसमें किला नम्बर 1 व 10 में प्रत्येक में 0.0130 हैक्टर रकबा गैरमुमकिन रास्ते हेतू कटा हुआ है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं।

प्रार्थी को गांव 2 एल.एल. से अपने मुरब्बा नम्बर 7 में जाने के लिए 2 एल.एल. के मुरब्बा जात के मंजूरशुदा रास्ते से होते हुऐ चक 5 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 ता 25 के दो दो बिस्वा से होता हुआ मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 21 के कोने 16X16 वर्ग फीट से आगे पुलिया से होकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1, 10 में होकर अपनी भूमि में जाता है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

गांव 2 एल.एल. से चक 5 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 5 तक दो दो बिस्वा रास्ता मंजूरशुदा है इसके आगे मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 21 से होकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1, 10 से हो कर रास्ता जाता है मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ते का इन्द्राज 1978 में राजस्व रिकार्ड में किया गया है।

प्रार्थी गांव 2 एल.एल. के मुरब्बाजात के स्वीकृत शुदा रास्ते से चक 5 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 5, 6 व 7 से हो कर भूमि में प्रवेश करते थे तथा कृषि से सम्बन्धित ट्रेक्टर, हल व अन्य कृषि यन्त्र को इसी रास्ते से लेकर जाते थे तथा वापस लेकर आते थे प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग करता आ रहा है।

प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 5, 6 तक दो–दो बिस्वा रास्ता (16–1/2 फुट रास्ता) चल रहा है परन्तु मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में रास्ता 8–1/4 फुट रह जाता है जिससे प्रार्थी का काफी दिक्कत हो रही है।

मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 से होकर प्रार्थी अपने किलाजात में पहुंच जाता है मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में रास्ता 8–1/4 फुट होने से फसल काटने व निकालने की बड़ी मशीने कम्पेन वगैरा को व अन्य कृषि उपकरण को ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है जिसकी प्रार्थी के नितांत आवश्यकता है प्रार्थी अपने खेत में बाग भी लगवाना चाहता है जिस हेतू भी रास्ता चौड़ा किया जाना आवश्यक है। इसलिए 5 एच. एच. के खाता संख्या 21/64 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में मंजूरशुदा रास्ता को चौड़ा कर दो दो बिस्वा (16–1/2, 16–1/2 फुट) किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी दिनाक 30.6.2018 से अप्रार्थी संख्या 1 से मिला और सहमति से रास्ता चौड़ा करवाने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी ने मना कर दिया, यही वाद कारण है। रास्ता चौड़ा करने की सूरत में प्रार्थी बदले में भूमि या डीएलसी की दुगनी राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

उक्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि 5 एच.एच. के खाता संख्या 21/64 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में मंजूरशुदा रास्ता को चौड़ा कर दो दो बिस्वा (16–1/2, 16–1/2 फुट) किये जाने का आदेश दिया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट जमाबदी चक 5 एच.एच. खाता संख्या 21 के मुरब्बा नम्बर 7 के 3.062 हैक्टर नहरी मय खाला/रास्ता खातेदार चरणजीतसिंह पुत्र सन्तोखसिंह जाति खत्री साकिन धालेवाला के नाम दर्ज है प्रार्थी को मुताबिक रिकार्ड अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, प्रत्येक में 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत है। व मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1 से 5 के मध्य मुरब्बा लाईन पर लगभग 8 फुट चौड़ा रास्ता प्रचलित है। रास्ता चौड़ा करनें की सूरत में प्रार्थी बदले में भूमि या डी.एल.सी. की दुगनी राशि जमा करवानें के लिये तैयार है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अप्रार्थी द्वारा जरियें अधिवक्ता दिनांक 16.10.2018 को जवाब प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। सहकाश्तकार के नाम से खातेदारी दर्ज होने के बावजूद उनको पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3, 4, 5, 6, 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में मनघड़न्त तथ्य दर्ज किये गये है। मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि को कम करने की नियत से रास्ता चौड़ा करने की मांग की गई है जबकि प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रार्थी के अलावा किसी अन्य ने रास्ता चौड़ा करने की मांग की है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 स्वीकार नही है क्योकि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नही है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि को कम करने की नियत से रास्ता चौड़ा करने की मांग की जा रही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 व 11 कानूनी है।

अप्रार्थी द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन दर्ज किये कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहकाश्तकारों का पक्षकार नही बनाया गया, जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है एवम प्रार्थी स्वयं मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में स्वीकार करता है। प्रार्थी की कृषि भूमि मुश्तरका खाता की है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी अपना विशेष किलाजात पर कब्जा नही कह सकता। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया कि प्रार्थी रास्ता चौड़ा क्यों करावाना है। रास्ता के सम्बंध में एक दस्तावेज लिखा गया था जो पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता नही है। प्रार्थी सुविधानुसार रास्ता मंजूर करवाना चाहता। सुविधानुसार रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवम् उच्च न्यायालय के सिद्वान्त प्रतिपादित है।

नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना नही की गई है। अप्रार्थी समान्त/लघु काश्तकार है। अगर रास्ता चौड़ा किया जाता है तो अप्रार्थी की कृषि भूमि कम हो जायेगी और अप्रार्थी के परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा क्योकि अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि के टुकड़े पर ही अपने परिवार का जीवन यापन करता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्राथी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में रास्ता 8–1/4 फुट होने से फसल काटने व निकालने की बड़ी मशीने कम्पेन वगैरा को व अन्य कृषि उपकरण को ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है जिसकी प्रार्थी के नितांत आवश्यकता है प्रार्थी अपने खेत में बाग भी लगवाना चाहता है जिस हेतू भी रास्ता चौड़ा किया जाना आवश्यक है। इसलिए 5 एच.एच. के खाता संख्या 21/64 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 10 में मंजूरशुदा रास्ता को चौड़ा कर दो दो बिस्वा (16–1/2, 16–1/2 फुट) किया जाना आवश्यक है।

लगातार 4

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1281, तथा आर.आर.डी. 2017 पेज 515 की नजीर प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना नही की गई है। अप्रार्थी समान्त/लघु काश्तकार है। अगर रास्ता चौड़ा किया जाता है तो अप्रार्थी की कृषि भूमि कम हो जायेगी और अप्रार्थी के परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा। तथा प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता नही है। प्रार्थी सुविधानुसार रास्ता मंजूर करवाना चाहता। सुविधानुसार रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवम् उच्च न्यायालय के सिद्वान्त प्रतिपादित है।

:– :: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया के प्रार्थी द्वारा पूर्व में स्वीकृत रास्ते को और चौड़ा करनें हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तार्गत प्रस्तुत किया गया है। रास्ते की चौड़ाई बढ़ानें की आवश्यक्ता हेतु कोई ठोस साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे सिद्ध हो की रास्ते की चौड़ाई बढ़ाई जानी नितान्त आवश्यक्ता है। मात्र कपोल कल्पित कथन जैसे फसल काटने व निकालने की बड़ी मशीने कम्पेन वगैरा को व अन्य कृषि उपकरण को ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है प्रार्थी अपने खेत में बाग भी लगवाना चाहता है आदि किये गये है। इन समस्त कार्यो के लिये 8–1/4 फुट चौड़ाई का रास्ता पर्याप्त होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें योग्य नहीं होने के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 21.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर